रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1657] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 23, 2014/भाद्र 01, 1936
No. 1657] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 23, 2014/BHADRA 01, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2014

का.आ. 2127(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, तमिलनाडु राज्य क्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की इरुगूर - देवनगुन्थी पाइपलाइन परियोजना के लिए, सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये बीपीसीएल में प्रतिनियुक्ति पर श्री टी. कुमारेसन, डिप्टी कलेक्टर, सेलम, तमिलनाडु सरकार को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. आर. 31015/3/14–ओ आर II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2014

S.O. 2127(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorises Shri T. Kumaresan, Dy. Collector, Salem, on deputation to Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) to perform the functions of the Competent Authority, in the State of Tamilnadu for Bharat Petroleum Corporation Limited's Irugur-Devangonthi pipeline under the said Act.

[F. No. R-31015/3/14-OR II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2014

का.आ. 2128(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, कर्नाटक राज्य क्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की इरुगूर - देवनगुन्थी पाइपलाइन परियोजना के लिए, सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये बीपीसीएल में प्रतिनियुक्ति पर श्री के. वी. अनन्त राजू, तहसीलदार, पवगड़ तालुक, टुमकुर बैंगलोर, कर्नाटक राज्य सरकार को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. आर. 31015/3/14–ओ आर II]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2014

S.O. 2128(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorises Shri K.V. Anantha Raju Tehsildar, Pavagada Taluka Tumkur, on deputation to Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) to perform the functions of the Competent Authority, in the State of Karnataka for Bharat Petroleum Corporation Limited's Irugur - Devangonthi pipeline under the said Act.

[F. No. R-31015/3/14-OR II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.